अनुसूची – अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(दिनांक 1.04.2018 से 30.9.2018 तक)								(दिनांक 1.10.2018 से 31.03.2019 तक)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00	अकुशल	6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00
7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	कुशल	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00

स्पष्टीकरण–

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें उनके उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए घोषित गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 264(2001=100)जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के उपलब्ध आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 250 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 870 एवं 871 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्र. एफ 4(डी)-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू होगी। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.6.2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर श्रमिकों के वर्गीकरण को अवगत किया गया है। (सूची संलग्न)

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उससे समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1-ग))

(राजेश बहुगुणा)
श्रम आयुक्त,मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :-न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।